न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 06/2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री विक्रम सिंह तामरा तत्का0 कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय गडरारोड़, जिला बाडमेर हाल–कार्या0 जिला कलेक्टर उदयपुर		जिला कलेक्टर बाड़मेर

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर क्रमांकः प.1( )(1)कार्मिक/2019/16244 दिनांक 04.01.2020 द्वारा प्रार्थी की आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां संग्रहित प्रभाव (With Held) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

निर्णय

दिनांक 20.12.2022

1. यह अपील श्री विक्रम सिंह तामरा, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय गड़रारोड़ जिला बाडमेर, हाल–कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलेक्टर उदयपुर ने जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांकः प.1( )(1)कार्मिक/2019/16244 दिनांक 04.01.2020 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट तहसील कार्यालय गडरारोड में कार्यरत रहते बिना सूचना/अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 19.04.2018 से 28.04.2018 तक स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय कार्य प्रभावित होने से विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2022 के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होना मानते हुए उसकी आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां संग्रहित प्रभाव (With Held) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकः प.1( )(1)कार्मिक/2018/7400 दिनांक 10.09.2018 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री विक्रमसिंह तामरा के तहसील कार्यालय गड़रारोड़ में कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 06.08.2014 से कार्यरत्त रहने के दौरान दिनांक 19.04.2018 से 28.04.2018 तक स्वैच्छापूर्वक अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में स्थापित नियन्त्रण कक्ष का कार्य बाधित हुआ। आपका यह कृत्य अपने कर्त्तव्य से स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने एवं अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जैसा कि आरोप विवरण पत्र में अंकित है।

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 03.10.2018 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि दिनांक 17.04.2018 को तहसील कार्यालय में कार्यरत्त रहते सांय लगभग 4.00 बजे उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसकी इतला तहसीलदार गडरारोड को मोबाईल पर दी गई तथा बाडमेर से दवा लाने का कहा गया। दिनांक 17.04.2018 को ही रात्रि में तबीयत में सुधार नही होने से तहसीलदार को सूचना देकर, अपना परिचित ग्राम हरसाणी में होने के कारण चिकित्सकीय परामर्श हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसाणी जाकर जांच करवायी गई। जिस पर चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य लाभ हेतु दिनांक 18.4.18 से 24.4.18 तक विश्राम की सलाह दी गई। जिसकी सूचना तहसीलदार को दी गई तथा दिनांक 20.4.18 को तहसीलदार गडरारोड को ई–मेल पर उक्त सूचना प्रेषित की गई, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यालय आदेश कमांक 37 दिनांक 16.4.18 के द्वारा उसे दिनांक 19–20.4.18 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों में उपस्थित होना था, वह भी स्वस्थ होने के उपरांत संभव हो पायेगा। श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश कमांक 2649 दिनांक 20.4.18 के द्वारा प्रार्थी को निलंबित कर, मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु रखा गया, जबकि वह बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा। इसमें उसकी कोई दुर्भावना नही रही है। अतः उपर्युक्त कारणों से

विजनल कमिश्नर
जोधपुर

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने तथा उसके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में समाप्त करने का आग्रह किया गया।

5. तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश क्रमांकः प.1( )(1)कार्मिक/2018/12081 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा प्रकरण में विभागीय जांच हेतु उपखण्ड अधिकारी रामसर को जांच अधिकारी एवं तहसीलदार गडरोड को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया तथा आदेश क्रमांकः 1601 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रहते आरोपी को निलंबन से बहाल किया गया।

जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी रामसर ने उक्त विभागीय जांच कार्यवाही सम्पन्न कर अपने पत्र क्रमांकः कार्मिक/2019/418 दिनांक 28.6.19 के द्वारा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर बाडमेर को प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट में निष्कर्षतः मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 20.4.18 को श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा तहसील कार्यालय गडरारोड का निरीक्षण के दौरान आरोपी के अस्वस्थ होने की जानकारी व मौखिक स्वीकृति की सूचना तत्का0 तहसीलदार गडरारोड द्वारा निरीक्षण अधिकारी को देने में चूक हुई है तथा आरोपी कार्मिक के ईमेल दिनांक 20.4.18 तथा रोग–आरोग्य प्रमाण पत्र के मध्यनजर आरोपी पर लगाये गये आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नही होते है।

6. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि दिनांक 17.04.2018 को तहसील कार्यालय में कार्यरत्त रहते सांय लगभग 4.00 बजे उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसकी इतला तहसीलदार गडरारोड को मोबाईल पर दी गई। दिनांक 17.04.2018 को ही रात्रि में तबीयत में सुधार नही होने से तहसीलदार को सूचना देकर, उसका परिचित ग्राम हरसाणी में होने के कारण चिकित्सकीय परामर्श हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसाणी जाकर जांच करवायी गई। जिस पर चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य लाभ हेतु दिनांक 18.4.18 से 24.4.18 तक विश्राम की सलाह दी गई। इसकी सूचना तहसीलदार गडरारोड को मोबाईल पर दी गई तथा दिनांक 20.4.18 को तहसीलदार गडरारोड को ई–मेल पर लिखित सूचना प्रेषित की गई, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उसे दिनांक 19–20.4.18 को माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों में उपस्थित होना था, जो स्वस्थ होने के उपरांत संभव हो पायेगा। अपीलांट बीमारी के कारण अपने कर्त्तव्य

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

से विमुख रहा, इसमें उसकी कोई दुर्भावना नही रही है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे आरोपित दण्ड से मुक्त करने का आग्रह किया गया।

7. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में ज़िला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांकः प.1( )(1)कार्मिक/2020/16619 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली व जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी रामसर की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसाणी द्वारा जारी रोग–आरोग्य प्रमाण पत्रों के आधार पर दिनांक 18.4.18 से 24.4.18 तक चिकित्सकीय कारणों से अवकाश का उपभोग किया है। इसके अलावा जांच अधिकारी–उपखण्ड अधिकारी रामसर की जांच रिपोर्ट में निष्कर्षतः यह उल्लेखित है कि दिनांक 20.4.18 को श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा तहसील कार्यालय गडरारोड का निरीक्षण के दौरान तत्का0 तहसीलदार गडरारोड द्वारा आरोपी के अस्वस्थ होने की जानकारी व मौखिक स्वीकृति की सूचना निरीक्षण अधिकारी को देने में चूक हुई है तथा आरोपी कार्मिक द्वारा प्रेषित ईमेल दिनांक 20.4.18 तथा रोग–आरोग्य प्रमाण पत्र के मध्यनजर आरोपी पर लगाये गये आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध नही होते है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2020 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
सिविल जनरल कमिश्नर
जोधपुर